न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
20/2021	01.02.2021	01.02.2021

1 बनवारी पुत्र उमराव
2 हरफुल पुत्र रेखा
3 पतराम पुत्र रेखा
4 रामवतार पुत्र रेखा
5 रामफल पुत्र रेखा
6 बलबीर पुत्र श्रीचन्द
7 बनेसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति गुर्जर निवासी हुसैनपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर (राज0)।

वादीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर
2 श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला अलवर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा –ईश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 01.02.2021

उपस्थिति :–
1– श्री गंगाराम पटेल, वकील वादीगण

आराजी ख0 न0 हाल 1068 रकबा 1.33, 1069 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर में स्थित है। आराजी साबिक ख0 न0 872 मीन 5–07 के हाल नम्बर 1068/5–07 तथा साबिक न0 872 मीन 05–08 के हाल न0 1069/5–08 वाके ग्राम रसगण में सेटलमेन्ट विभाग ने बनाये है। उक्त विवादीत आराजी मिन वादीगण के बुजर्गो की पैत्रिक सम्पत्ति है, जिस पर पूर्व में वादीगण के बुजर्ग काबिज होकर काश्त करते थे ओर बुजर्गान के फौत होने के बाद मिन वादीगण काबिज [illegible] राजस्व रिकार्ड मे मिन वादीगण के बुजर्गान के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। [illegible] पत्र में वर्णित है। अर्थात मिन वादीगण के दादा म्रतक जयमल [illegible] को जगराम भी कहते थे। राजस्व रिकार्ड में साबिक इन्द्राज [illegible] विवादित आराजी [illegible]राव, रेखा पुत्रान जयमल सम्भाग गूर्जर साकिन, हुसैनपुर दर्ज चली आ रहा है। [illegible] सेटलमेन्ट विभाग के उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में उमराव, रेखा पुत्रान जयमल [illegible]भाग गूर्जर के स्थान पर उमराव व रेखा व प्रभात, जयमल कोम गूर्जर कर दिया जबकि सेटलमेन्ट विभाग को साबिक रिकार्ड का इन्द्राज चेन्ज करने का अधिकार नही था। सेटलमेन्ट विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:14:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

को राजस्व रिकार्ड में अर्थात 2029 की जमाबन्दी में उमराव, रेखा पुत्रान जयमल सम्भाग दर्ज करना चाहिये था लेकिन बिना किसी अधिकार, बिना कानून के मौका के जिला बन्दोस्त विभाग ने पुत्रान की जगह प्रभात कर दिया व लिख कर जयमल लिख दिया जो राजस्व रिकार्ड काबिल दुरूस्ती है और दूरूस्त करके राजस्व रिकार्ड मे उमराव, रेखा पुत्रान जयमल उर्फ जगराम सम्भाग गूर्जर गैर खातेदार दर्ज किया जावे। जिस हेतु दावा वादीगण की तरफ से इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1068/1.35, 1069/1.37 है0 वाके ग्राम सरगन तहसील मुण्डावर के हाल राजस्व रिकोर्ड में उमराव, रेखा पुत्रान जयमल उर्फ जगराम गुर्जर हुसैनपुर गैर खातेदार दर्ज कर वादीगण को मुताबिक सजरा के गैर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्वबत 2065-68 प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श-4 पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के वाद का यह न्यायालय आंशिक स्वीकार योग्य पाता है।

-:: आदेश ::-

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी अंशिक डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर हाल 1068/1.35 है0, 1069/1.37 है0 वाके ग्राम सरगन तहसील मुण्डावर के हाल राजस्व रिकोर्ड में उमराव, रेखा पुत्रान जयमल उर्फ जगराम गुर्जर हुसैनपुर गैर खातेदार काश्तकार घोषित कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी में उक्त काश्तकारो के वारिसान ही जॉच कर उनके हिस्सोनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।
तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

1.2.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या	दायरा दिनांक	आंशिक निर्णय दिनांक
20 / 2021	01.02.2021	01.02.2021

1 बनवारी पुत्र उमराव
2 हरफुल पुत्र रेखा
3 पतराम पुत्र रेखा
4 रामवतार पुत्र रेखा
5 रामफल पुत्र रेखा
6 बलबीर पुत्र श्रीचन्द
7 बनेसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति गुर्जर निवासी हुसैनपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर (राज0)।

वादीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर
2 श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला अलवर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा –ईशतकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज

–: आंशिक पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 01.02.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गंगाराम पटेल व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.02.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और आंशिक डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर हाल 1068 / 1.35 है0, 1069 / 1.37 है0 वाके ग्राम सरगन तहसील मुण्डावर के हाल राजस्व रिकोर्ड में उमराव, रेखा पुत्रान जयमल उर्फ जगराम गुर्जर हुसैनपुर गैर खातेदार काश्तकार घोषित कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये [illegible] कि उक्त आराजी में उक्त काश्तकारो के वारिसान ही जॉच कर उनके हिस्सोनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 01.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा [illegible] जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:14:12 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0